भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *59
23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न
उचित दर की दुकानों के लिए सहायता

***59. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गोवा में उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के वित्तीय रूप से अव्यवहार्य होने की जानकारी है जहां कई दुकानें बंद हो चुकी हैं और 400 से अधिक दुकानें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं तथा उनकी लगभग एक करोड़ रुपये की कमीशन राशि बकाया है;

(ख) सरकार द्वारा इन उचित दर की दुकानों को सहायता प्रदान करने और सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) संबंधी योजना के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की गोवा में लाभार्थियों के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कम लाभ, प्रचालनात्मक हानियों और राशन कार्डों के घटते उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'उचित दर की दुकानों के डीलरों को मुआवजा' योजना और जन पोषण केन्द्र कार्यक्रम जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में किस प्रकार सहायता करने की योजना है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 23.07.2025 को उत्तरार्थ "उचित दर की दुकानों के लिए सहायता" विषय पर तारांकित प्रश्न संख्या *59 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

टीपीडीएस (नियंत्रण) के आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों के मार्जिन के रूप में राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान के प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप में की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के नियम 8 के अनुसार राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उचित दर दुकान के डीलरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में समायोजन द्वारा या अन्य समुचित तंत्र के माध्यम से उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करेगी। यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकान के डीलरों द्वारा संदेय खाद्यान्नों का मूल्य उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन से कम है, तो राज्य सरकार उचित दुकान डीलरों को, पूर्ण रूप में, मार्जिन का पूर्व भुगतान सुनिश्चित करेगी। अतः उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन की वास्तविक दर निर्धारित करने या उचित दर दुकान डीलरों को इसका भुगतान करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को बढ़ाया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्यों की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन का घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 31 मार्च, 2022 तक)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 01.4.2022 से)
सामान्य श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन और हैंडलिंग	65	70
	एफपीएस डीलर मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन और हैंडलिंग	100	105
	एफपीएस डीलर मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

...2/-

विशेष श्रेणी राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और सात पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं।

तथापि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार, उचित दर दुकान के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी।

गोवा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वे राज्य में उचित दर दुकानों (एफपीएस) को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बना रहे हैं। तथापि, पिछले दो वित्त वर्षों में 8 एफपीएस ने मृत्यु, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं और 8 में से केवल 2 एफपीएस ने ही वित्तीय कारणों से लाइसेंस सरेंडर किया है।

सरकार, एफपीएस पर मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से एफपीएस डीलरों के लिए अतिरिक्त व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त करके तथा लाभार्थी अनुभव को बढ़ाकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु प्रयास करती रही है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एफपीएस के माध्यम से पहल शुरू करें जैसे बैंकों/कॉरपोरेट बैंकिंग कॉरसपोंडेंट्स के साथ समझौता करके बैंकिंग सेवाएँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना, छोटे (5 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री करना, अन्य जिंसों/जनरल स्टोर की सामग्री की बिक्री करना आदि।

इसके अलावा, गोवा राज्य सरकार ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों पर परिवहन लागत का बोझ कम करने के लिए खाद्यान्नों की द्वार तक (डोर स्टेप) डिलीवरी की पहल को कार्यान्वित किया है। इस पहल के तहत, प्राधिकृत लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई सीधे उचित दर दुकानों (एफपीएस) तक की जाती है।

इसके अलावा, 5 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर में 90 उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए जन पोषण केंद्र संबंधी प्रायोगिक (पायलट) अध्ययन किया गया है। लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार ने यह प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है।

*****